

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-121/2023

तारीख दायर:-12.09.2023

तारीख निर्णय:-08.04.2025

1. श्री सवला पुत्र ननका गीणा निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।

.....प्रार्थी

### बनाम

1. श्री जगदीश पिता पुना डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।
2. श्री पुना पिता ननका डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।
3. श्री कमल पिता पुना डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।
4. श्री देवीलाल पिता पुना डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।
5. श्रीमति तारा पत्नी कमल डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।
6. वसकी पत्नी देवा डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।
7. किरण पत्नी जगदीश डामोर निवासी पारगीयापाडा तहसील झाड़ोल।

.....अप्रार्थीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री जसवन्तसिंह झाला

अप्रार्थी की ओर से- श्री राजेश कलासुआ

### निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पारगीयापाडा पटवार क्षेत्र मादडी तहसील झाड़ोल में आराजी नम्बर 4917/792 रकबा 0.8000 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा पारगीयापाडा पटवार क्षेत्र मादडी तहसील झाड़ोल में आराजी नम्बर 4917/792 रकबा 0.8000 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जाहिर किया कि उन्हे पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार

उपखण्ड अधिकारी  
झाड़ोल, जिला-उदयपुर

पत्रावली संख्या 21/न्याय/क्रां/  
1067 क्रमांक 14

1.1.1

काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि मौजा पारगीयापाडा पटवार क्षेत्र मादडी तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 4917/792 रकबा 0.8000 है 0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
झाडोल-उदयपुर